कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 649 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक अगस्त, 16 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।

विषयः– एन0टी0पी0सी0 रिहन्दनगर ,बीजपुर–सोनभद्र द्वारा जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वनप्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण मे प्रभावित 555.759 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध मे ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–2723/11–सी FP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक–31.07.2023 एवं आपका पत्र संख्या–438/रेनुकूट/15–6 दिनांक 01.08.2023 तथा इस कार्यालय का पत्रांक 578/मी0क्षे0/33 दिनांक 11.08.2023 एवं आपका पत्रांक 610/रेनुकूट/15–6 दिनांक 11.08.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में संदर्भित पत्र दिनांक–31.07..2023 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि " **प्रस्ताव मे सलग्न किये गये प्राक्कलन मे वार्षिक वृद्धि दर (Escalation Rate) त्रुटिपूर्ण ली गयी है। अतः अग्रिम मृदा कार्य वर्ष को छोडकर आगामी वर्षो मे प्रतिवर्ष सही वार्षिक वृद्धि दर (Escalation Rate) के अनुसार संशोधित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं उससे संबंधित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करते हुए ऑनलाइन प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।** "

उपरोक्त इंगित कमियो के सम्बन्ध मे आपके कार्यालय के पत्र संख्या– 610/रेनुकूट/15–6 दिनांक 11.08.2023 के साथ संलग्न किये गये प्राक्कलन अवलोकन से स्पष्ट नही हो पा रहा कि किस **(सीलिंग दर)** के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन मे मु0 14,27,04,640.00 एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र मे 15,30,22,625.00 उल्लेख है ऐसा क्यो ? स्पष्ट करें, उससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराना सुनिशित करें, ताकि प्रकरण मे अग्रेतर कार्यावाही की जा सके।

भवदीय,

(एन0 रवीन्द्रा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।